आरोग्यम् सुखसम्पदा

" नव निर्मित अंतरराष्ट्रीय छात्रावास के कार्यतरूव्यवस्था, संचालन तथा अनुरक्षण तथा रास्वापक. संस्थान में मौजूदा पुराने छात्रावास के संचालन तथा अनुरक्षण के लिए पात्र एजेंसियों से रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)"

निविदा सूचना सं. एनआईएचएफ़डबल्यू / डब्ल्यूएस / 37-7 / 2022

दिनांकः 27-05-2022

ईओआई, तकनीकी बोली प्राप्त करने की अंतिम तिथि और समयः

30-06-2022 अपराह्न 2:30 बजे (संशोधित तिथि)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान एवं परिवार कल्याण,

बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली -110067

फ़ोनः 91-11-26165959, 91-11-26166441, 91-11-26188485, 91-11-26107773

फैक्सः 91-11-26101623

वेब साइटः www.nihfw.org

आरोग्यम् सुखसम्पदा

राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान

(छात्रावास)

एनआईएचएफडब्ल्यू / डब्ल्यूएस /**37-7/2022**

दिनांकः -**20** जून,**2022**

शुद्धिपत्र

ईओआई में निम्नलिखित संशोधन/परिवर्तन किए गए हैं, कृपया निम्नलिखित पर विचार करेंः-

1. अनुभवः- एजेंसी के पास कम से कम पचास कमरे (50 संख्या) की क्षमता वाले होटल/गेस्ट हाउस चलाने का अनुभव होना चाहिए।
2. अनुबंध अवधिः- चयनित एजेंसी के लिए अनुबंध का कार्यकाल **02** वर्ष के बजाय **03** वर्ष के लिए माना जा रहा है और केवल प्रदर्शन के आधार पर **01** वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।
3. एफएसएसएआई लाइसेंसः - एफएसएसएआई लाइसेंस के लिए शर्त अनिवार्य है और इसे एजेंसियों के लिए योग्यता मानदंडों में से एक के रूप में शामिल किया जा रहा है।
4. जीएसटी समावेशः-दरें (हॉस्टल और अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास के लिए मौजूदा दरें) जीएसटी सहित होंगी।
5. अंतिम तिथि विस्तारः- ईओआई (तकनीकी) प्राप्त करने की अंतिम तिथि **23** जून **2022** से **30** जून, **2022**, दोपहर **2:30** बजे तक बढ़ा दी गई है।
6. छूटः- एजेंसियों के अनुरोध पर विचार करते हुए आईएसओ मानदंड में छूट दी गई है।
7. प्रस्तुतिकरणः- एजेंसी को अंतरराष्ट्रीय और पुराने छात्रावास के लिए निवेश और उसकी निष्पादन योजना का प्रस्ताव देना होगा अर्थात एक बार में या चरणबद्ध तरीके से। निवेश/निष्पादन योजना प्रस्तुति का हिस्सा होगी। ईओआई (तकनीकी) की प्राप्ति के बाद प्रस्तुति की तारीख साझा की जाएगी).

बोली-पूर्व स्पष्टीकरण

मौजूदा और नव निर्मित अंतर्राष्ट्रीय एनआईएचएफडब्ल्यू छात्रावासों की आउटसोर्सिंग के लिए बोली पूर्व बैठक **14/06/2022** को सुबह **11:00** बजे बोर्ड कक्ष, प्रशासन ब्लॉक में आयोजित की गई थी। बैठक में संस्थान और निम्नलिखित एजेंसियों के संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति थी जिन्होंने बोली पूर्व बैठक में भाग लियाः-

1. मैसर्स अग्रवाल एसोसिएट्स
2. मैसर्स जेआरडी होटल्स
3. मैसर्स के-**2** इंटरनेशनल
4. मैसर्स एकाब
5. मैसर्स नागर इंफ्रास्ट्रक्चर (प्रा.) लिमिटेड
6. मैसर्स एटुजेड फैसिलिटेटर्स (प्रा.) लिमिटेड
7. मैसर्स सनशाइन इंटरप्राइजेज
8. मैसर्स धनुसी कंस्ट्रक्शन (प्रा.) लिमिटेड

भाग लेने वाली एजेंसियों द्वारा उठाए गए विशिष्ट प्रश्न और संस्थान द्वारा उनकी संबंधित टिप्पणियां/स्पष्टीकरण निम्नानुसार हैंः -

मैसर्स सनशाइन इंटरप्राइजेज		
क्रम संख्या	**प्रश्न**	**टिप्पणी/प्रतिक्रिया**
1.	कृपया परियोजना के कार्यकाल को 2 वर्ष से न्यूनतम 3 वर्ष तक तथा 2 और वर्षों की विस्तार योग्य अवधि (पिछले प्रदर्शन पर निर्भर करता है) पर विचार करें।	चूंकि एजेंसी को छात्रावासों को क्रियाशील और परिचालन में लाने के लिए पूंजी निवेश करना होगा, इसलिए परियोजना के प्रारंभिक कार्यकाल को प्रदर्शन के आधार पर एक वर्ष के विस्तार के साथ दो साल से बढ़ाकर तीन साल किया जा रहा है। यह भी उल्लेख किया जाता है कि पूंजी निवेश चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा और एजेंसी को प्रस्तुति के दौरान निवेश योजना का प्रस्ताव देना होगा।
2.	कृपया ग्राहकों से ली जाने वाली पूर्व-निर्धारित दरों को स्पष्ट करें, जिन पर आपने बैठक के दौरान चर्चा की थी, जिसमें जीएसटी राशि या उल्लिखित दरों के अलावा अन्य शुल्क शामिल हैं।	पूर्व-निर्धारित कमरे का किराया जीएसटी सहित लिया जाएगा।
3.	शुरुआती निवेश जैसे एलईडी, फ्रिज, क्रॉकरी, पेंट्री एरिया के लिए कुर्सी एवं मेज़ आदि जो हमें लगाने हैं, क्या इस राशि की प्रतिपूर्ति का कोई प्रावधान है या परियोजना की अवधि पूरी होने के बाद आप इस राशि की भरपाई कैसे करेंगे।	संस्थान निवेशित मदों की राशि की क्षतिपूर्ति/प्रतिपूर्ति नहीं करेगा। पूंजी निवेश चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा और एजेंसी को प्रेजेंटेशन के दौरान निवेश योजना का प्रस्ताव देना होगा। साझा किए जाने योग्य लाभ का अंश प्रतिशत तदनुसार उद्धृत किया जाएगा।
4.	अंकन योजना की गणना करते समय कृपया केवल एक आईएसओ प्रमाणपत्र (आईएसओ 9001:2015) पर विचार करें।	आईएसओ 9001:2015 प्रमाणन की अनिवार्य प्रकृति के आधार पर, इसे पात्रता/योग्यता मानदंड में जोड़ा जाता है। यदि एजेंसी के पास कोई अन्य आईएसओ प्रमाणीकरण है, तो प्रत्येक प्रमाणन के लिए एक अतिरिक्त अंक दिया जाएगा जबकि अधिकतम पांच अंक होंगे। आईएसओ 9001:2015 के अलावा, एफएसएसएआई लाइसेंस को पात्रता/योग्यता मानदंड में भी जोड़ा जाता है क्योंकि यह एक अनिवार्य लाइसेंस है।

5.	कृपया स्पष्ट करें कि एजेंसी द्वारा किस दर पर बिजली शुल्क का भुगतान किया जाना है। और बिजली शुल्क के अलावा, कोई अन्य प्रमुख व्यय, यदि कोई हो, तो कौन वहन करेगा क्योकि संचालन और रखरखाव किसी अन्य एजेंसी या एनआईएचएफडब्ल्यू के पास है।	मौजूदा बिजली शुल्क (बीएसईएस दर) एजेंसी पर लागू होगा। हालांकि बिजली का मीटर एनआईएचएफडब्ल्यू द्वारा लगाया जाएगा। दोनों छात्रावासों में आईजीएल कनेक्शन हैं और उनका संबंधित शुल्क एजेंसी द्वारा वहन किया जाएगा। भवन के बाहर होने वाली बड़ी खराबी संस्थान द्वारा वहन की जाएगी, जबकि आंतरिक दोष (बड़े / छोटे) के कारण होने वाले खर्च की मरम्मत और भुगतान एजेंसी द्वारा किया जाएगा।
6.	कृपया सुनिश्चित करें कि दोनों छात्रावासों में अग्निशमन/अग्नि अलार्म सिस्टम काम करने की स्थिति में हैं।	एजेंसी को छात्रावास सौंपते समय छात्रावास/रखरखाव कर्मचारियों द्वारा अग्निशमन/अग्नि चेतावनी की कार्यप्रणाली का प्रदर्शन किया जाएगा।
	मेसर्स जेआरडी लक्ज़री बुटीक होटल	
क्रम संख्या	**प्रश्न**	**टिप्पणी/प्रतिक्रिया**
7.	यदि भविष्य में कोविड के कारण लॉकडाउन की अवधि होती है, तो बिजली बिल, कर्मचारियों का वेतन और अन्य खर्च जैसे सभी खर्च एजेंसी वहन करेगी या एनआईएचएफडब्ल्यू वहन करेगा।	ऐसी घटनाओं/परिदृश्य के तहत अप्रत्याशित घटना के नियम और शर्तें लागू होंगी और तदनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाएगा।.
8.	लाभ अनुपात (लाभ सभी खर्चों के बाद या खर्चों से पहले होगा), एजेंसी और एनआईएचएफडब्ल्यू का अनुपात क्या होग।	मूल्य-बोली का प्रारूप तकनीकी बोली में अर्हता प्राप्त करने वाली एजेंसी(यों) के साथ साझा किया जाएगा और एजेंसी(यों) को अर्जित लाभ से राजस्व हिस्सेदारी का प्रतिशत प्रस्तावित करना होगा। लाभ का उच्चतम प्रतिशत उद्धृत करने वाली एजेंसी का चयन किया जाएगा।
9.	यदि नया मीटर लगाया जाएगा तो शुल्क आवासीय या वाणिज्यिक होगा।	बिजली मीटर के मामले में, बीएसईएस मानदंडों का पालन किया जाएगा और गैस मीटर के लिए, आईजीएल मानदंडों का पालन किया जाएगा।
10.	क्या बाहरी मेहमानों (सरकारी और गैर-सरकारी) को रहने की अनुमति के संबंध में पुनर्विचार करने का कोई मानदंड है।	चूंकि छात्रावास भवन सरकारी संपत्ति के अंतर्गत आता है, इसलिए गैर-सरकारी मेहमानों को अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, कमरों में नहीं रहने की स्थिति में, प्राधिकरण द्वारा आगे इस संबंध में निर्णय लिया जा सकता है।
11.	दस्तावेज या मौखिक रूप से दी जाने वाली प्रस्तुति	एजेंसी को मौखिक रूप से प्रेजेंटेशन देना होगा और प्रस्तुतिकरण के दिन समिति को उसकी हार्ड कॉपी देनी होगी (प्रस्तुति की तिथि तकनीकी बोली प्राप्त होने के बाद तय की जाएगी)।

मेसर्स नागर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड		
क्रम संख्या	प्रश्न	टिप्पणी/प्रतिक्रिया
12.	आईएसओ 27001:2013 - आईएसओ/आईईसी 27001 का जोड़ एक सुरक्षा मानक है जो औपचारिक रूप से एक सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसएमएस) को निर्दिष्ट करता है जिसका उद्देश्य सूचना सुरक्षा को स्पष्ट प्रबंधन नियंत्रण में लाना है। औपचारिक विनिर्देश के रूप में, यह उन आवश्यकताओं को अनिवार्य करता है जो परिभाषित करती हैं कि आईएसएमएस को कैसे कार्यान्वित, निगरानी, रखरखाव और लगातार सुधार करना है। यह सर्वोत्तम प्रथाओं का एक सेट भी निर्धारित करता है जिसमें दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताएं, जिम्मेदारी के विभाजन, उपलब्धता, अभिगम नियंत्रण, सुरक्षा, लेखा परीक्षा और सुधारात्मक और निवारक उपाय शामिल हैं। आईएसओ/आईईसी 27001 का प्रमाणन संगठनों को सूचना की सुरक्षा से संबंधित कई नियामक और कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन करने में मदद करता है।	समझौते में "सुरक्षा उल्लंघन" का उपनियम शामिल होगा, जिस पर चयनित एजेंसी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। आईएसओ 27001:2013 - आईएसओ/आईईसी 27001 को जोड़ने पर आवश्यकता पड़ने पर विचार किया जा सकता है।
13.	दिल्ली के लिए वैध FSSAI लाइसेंस शामिल करना- विनियम के अनुसार, भारत में सभी खाद्य व्यवसाय ऑपरेटरों के पास FSSAI पंजीकरण या लाइसेंस होना चाहिए, यदि वे खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, परिवहन या वितरण में शामिल हैं।	FSSAI लाइसेंस को पात्रता / योग्यता मानदंड में जोड़ा जाएगा क्योंकि यह एक आवश्यक लाइसेंस है।
14.	कृपया अनुबंध की अवधि को कम से कम 5 वर्ष के लिए संशोधित करें। छात्रावास के दौरे पर यह पाया गया है कि सुविधा की न्यूनतम आवश्यकता को स्थापित करने के लिए बड़ी निवेश राशि की आवश्यकता है।	चूंकि एजेंसी को छात्रावासों को कार्यात्मक और परिचालन में लाने के लिए पूंजी निवेश करना होगा, परियोजना के प्रारंभिक कार्यकाल को पिछले प्रदर्शन के आधार पर एक वर्ष के विस्तार के साथ दो साल से बढ़ाकर तीन साल किया जा रहा है। यह भी उल्लेख किया जाना है कि पूंजी निवेश चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा और एजेंसी को प्रस्तुति के दौरान निवेश योजना का प्रस्ताव देना होगा।

15.	कृपया गर्मी और सर्दी दोनों ऋतुओं में छात्रावासों के लए लगभग बिजली की खपत के वषय में भी सू चत करें, ता क हम निश्चित मा सक खर्चों की गणना कर सकें।	चूं क संस्थान में एक केंद्रीकृत बिजली का मीटर है, इस लए पुराने छात्रावास की बिजली खपत का अनुमान लगाना मुश्किल है। हालां क, अस्थायी रूप से पुराने छात्रावास का वा र्षक बिजली खर्च रु. 15-18 लाख है। इसी तरह, अंतरराष्ट्रीय छात्रावास के लए मा सक बिजली खर्च का अनुमान नहीं लगाया जा सकता क्यों क अंतरराष्ट्रीय छात्रावास चालू/कार्यात्मक नहीं है।

मैसर्स ए टू जेड इंटरप्राइजेज

क्रम संख्या	प्रश्न	टिप्प णयां/प्रति क्रया
16.	अनुबंध कार्यकाल: अनुबंध कार्यकाल 03 वर्ष के लए कया जाना है और इसे 02 वर्ष के स्थान पर अ ग्रम 02 वर्ष के लए बढ़ाया जा सकता है।	चूं क एजेंसी को छात्रावासों को क्रयाशील बनाने और परिचालन में लाने के लए पूंजी निवेश करनी होगी, इस लए परियोजना के प्रारं भक कार्यकाल को प्रदर्शन के आधार पर एक वर्ष के वस्तार के साथ दो वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष कया जा रहा है। यह भी उल्लेख कया जाता है क पूंजी का निवेश चरणबद्ध तरीके से कया जाएगा और एजेंसी को प्रस्तुति/प्रेजेंटेशन के दौरान निवेश योजना का प्रस्ताव देना होगा।
17.	वद्युत - कृपया वद्युत मीटर री डंग, दरों आदि पर स्पष्टता प्रदान करें। इसे कैसे चार्ज कया जायेगा और वद्युत प्रा धकरण को इसका भुगतान कस प्रकार कया जाएगा	मौजूदा बिजली शुल्क (बीएसईएस दर) एजेंसी पर लागू होगा। हालां क, वद्युत मीटर एनआईएचएफडब्ल्यू द्वारा स्था पत कया जाएगा दोनों छात्रावासों में आईजीएल कनेक्शन हैं और उनका संबं धत शुल्क एजेंसी द्वारा वहन कया जाएगा। वर्तमान में, दोनों भवनों में लफ्ट (पुराना छात्रावास) और एचवीएसी सु वधाएं हैं जो तीन चरण वद्युत प्रणाली पर चलाई जा रही हैं और उनकी संबं धत री डंग बीएसईएस नीति के अनुसार चार्ज की जाती हैं।
18.	वद्युत एएमसी: प्रमुख वद्युत आपूर्ति अवरुद्ध/ब्रेकडाउन होने या क मयों की लागत कौन वहन करेगा। क्या हमने इसे कसी तीसरे पक्ष की एजेंसी या आतंरिक रखरखाव टीम द्वारा एएमसी के अंतर्गत कवर कया है।	भवन के बाहर होने वाली प्रमुख वद्युत खराबी/ब्रेकडाउन संस्थान द्वारा वहन कया जाएगा जब क आंतरिक दोष (बड़ा/मामूली) के कारण होने वाले व्यय की मरम्मत और भुगतान एजेंसी द्वारा कया जाएगा।
19.	जीएसटी - कमरे के टैरिफ, भोजन, सेवाओं आदि की बि लंग पर जीएसटी लागू। क्या टैरिफ में जीएसटी शा मल है या इसे अलग से चार्ज कया जाना है।	पूर्व-निर्धारित कमरे का कराया जीएसटी सहित लया जाएगा।

20.	पूंजी निवेश की वसूली: कमरे, रसोई और पेंट्री क्षेत्र जैसे फ्रिज, इलेक्ट्रिक केतली, वा शंग मशीन, एलपीजी स्टोव, बैन मैरी, डाइनिंग टेबल उपकरण, कु सयों, डीप फ्रिज, ओवन, बर्तन, क्रॉकरी आदि में पूंजी निवेश की आवश्यकता है। क्या इन मदों पर निवेश की गई रा श की वसूली/प्रतिपूर्ति का कोई प्रावधान है।	संस्थान निवे शत मदों की रा श की क्षतिपूर्ति/प्रतिपूर्ति नहीं करेगा। पूंजी निवेश चरणबद्ध तरीके से कया जाएगा और एजेंसी को प्रस्तुति के दौरान निवेश योजना का प्रस्ताव देना होगा। इसके अतिरिक्त, लाभ के अंश का प्रतिशत (शेयर) तदनुसार उद्धृत कया जाएगा।
21.	रूम टैरिफ दरें: कृपया उन पूर्व-निर्धारित दरों को स्पष्ट करें, जिन पर आपने बैठक के दौरान चर्चा की थी, जिसमें दरों के अतिरिक्त जीएसटी रा श भी शा मल है।	पूर्व निर्धारित (प्री- फक्स्ड) कमरे का कराया जीएसटी सहित लया जाएगा।
22.	सौर ऊर्जा: क्या आपका संगठन लागत बचत प्राप्त करने के लए सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के लए तैयार है। क्या सरकारी योजना के माध्यम से संस्था द्वारा सौर ऊर्जा लगाने पर सब्सिडी का कोई प्रावधान है।	संस्थान सौर ऊर्जा की लगाने के लए सहमत है। हालां क, संस्थान सौर प्रणाली की स्थापना के लए कए गए कसी भी शुल्क/खर्च को वहन नहीं करेगा। सब्सिडी के संबंध में, यदि सरकार या बीएसईएस की ओर से कोई प्रावधान है, तो वही लागू होगा। इसके अतिरिक्त, सौर पैनल से उत्पन्न बिजली स्वचा लत रूप से भवन के कुल भार (बिजली की खपत) को कम कर देगी।
23.	न्यूनतम गारंटी: क्या कमरों की न्यूनतम बु कंग का कोई आश्वासन है? कृपया पछले एक साल के रूम बु कंग ट्रेंड डेटा को साझा करें।	कमरों की न्यूनतम बु कंग के संबंध में कोई आश्वासन नहीं होगा। तथा प, संस्थान कमरों की अ धकतम बु कंग सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। यदि एजेंसी छात्रावास के पछले एक वर्ष के बु कंग रुझान डेटा देखना चाहती है, तो वे व्यक्तिगत रूप से छात्रावास के बु कंग डेटा पर जाकर देख सकते हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है क को वड अव ध के दौरान, छात्रावास की बु कंग दर अपेक्षाकृत कम थी।
24.	खातों की पुस्तकें: कृपया छात्रावास के लए पछले 01 वर्ष की लेखा पुस्तकों को साझा करें।	हॉस्टल नो प्रॉ फट नो लॉस के आधार पर चलता है। यदि एजेंसी छात्रावास की खाता बही देखना चाहती है, तो वे व्यक्तिगत रूप से छात्रावास की खाता बही में जाकर देख सकते हैं।
25.	उपकरण का वा र्षक रखरखाव अनुबंध: कृपया लफ्ट, जनरेटर, वद्युत पैनल और उपकरण जैसे वतरण बोर्ड, पंप, एसी सस्टम, फायर सस्टम, सीसीटीवी आदि, उनकी वारंटी/एएमसी दस्तावेज का ववरण साझा करें।	सफल एजेंसी को वैधता के साथ उपलब्ध उपकरणों की एएमसी प्रदान की जाएगी। यह भी उल्लेख कया गया है क मौजूदा एएमसी की समाप्ति के बाद, चयनित एजेंसी को संबं धत उपकरणों की एएमसी प्राप्त करनी होगी।

26.	संस्था द्वारा प्रदान की जाने वाली ईपीबीएक्स प्रणाली टेलीफोन बिल और अन्य सेवाओं के रूप में संस्था के नाम पर होगी।	अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास में पहले से ही ईपीबीएक्स सु वधा का प्रावधान है जब क पुराने छात्रावास में चल रहे नवीनीकरण कार्य के दौरान ईपीबीएक्स सु वधा स्था पत की जाएगी। हालां क, उपकरणों की स्थापना एजेंसी द्वारा की जाएगी।
27.	लॉंड्री : कसी तीसरे पक्ष के वक्रेता द्वारा लॉंड्री के लए परिसर के अंदर उसकी मशीनें/उपकरण और कर्मचारी लगाने का प्रावधान।	एजेंसी लॉन्ड्री के लए कसी तीसरे पक्ष के वक्रेता को काम पर रख सकती है और छात्रावास परिसर के अंदर मशीनें/उपकरण लगाए जा सकते हैं।
28.	को वड 19 के कारण पात्रता मानदंड- कृपया पात्रता मानदंड, क्रमांक 1 और देखें; 2, जहां कोई छात्रावास/गेस्ट हाउस चालू नहीं होने के कारण को वड की स्थिति को पूरा नहीं कया जा सकता है। आप तदनुसार मानदंड में उपयुक्त परिवर्तन कर सकते हैं।	ऐसी घटनाओं/परिदृश्य के तहत अप्रत्या शत घटना के नियम और शर्तें लागू होंगी और तदनुसार सक्षम प्रा धकारी द्वारा निर्णय लया जाएगा।
29.	आईएसओ प्रमाणपत्र: कृपया अंकों के लए केवल एक आईएसओ प्रमाणपत्र (आईएसओ 9001:2015) पर वचार करें।	आईएसओ 9001:2015 प्रमाणन की अनिवार्य प्रकृति के आधार पर, इसे पात्रता/योग्यता मानदंड में जोड़ा जाता है। यदि एजेंसी के पास कोई अन्य आईएसओ प्रमाणीकरण है, तो प्रत्येक प्रमाणन के लए अ धकतम पांच अंकों के अधीन एक अतिरिक्त अंक दिया जाएगा। आईएसओ 9001:2015 के अलावा, एफएसएसएआई लाइसेंस को भी पात्रता / योग्यता मानदंड में जोड़ा जाता है क्यों क यह एक आवश्यक लाइसेंस है।

मेसर्स अग्रवाल एसो सएट्स

क्र संख्या	प्रश्न	टिप्प णयां/प्रति क्रया
30.	कमरे का शुल्क एक डबल बेड रूम के लए है। यदि दो व्यक्ति कमरा साझा करते हैं, तो प्रत्येक के लए शुल्क क्या होगा?	डबल बेड वाले कमरों के मामले में, संबं धत रा श को दो व्यक्तियों में वभाजित कया जाएगा।
31.	एनआईएचएफडब्ल्यू और एजेंसी के बीच राजस्व का अंश/शेयर केवल कमरे के टैरिफ के लए होगा या भोजन के हिस्से पर भी होगा	एनआईएचएफडब्ल्यू और एजेंसी के बीच राजस्व का अंश/शेयर केवल रूम टैरिफ के लए होगा।
32.	क्या चेक इन/चेक आउट का कोई निश्चित समय होगा या यह चौबीस घंटे का होगा? यानी अगर कोई एक दिन सुबह 6 बजे चेक इन करता है और अगले दिन 8 बजे चेक आउट करता है, तो क्या उससे एक या दो दिन के लए शुल्क लया जाएगा?	चेक-इन और चेक-आउट का कोई निश्चित समय नहीं है। हालां क, मौजूदा छात्रावास 24 घंटे की अव ध के आधार पर मेहमानों से शुल्क लेता है।

33.	अगर कोई कमरा बुक करता है और नहीं आता है, तो क्या उससे प्रतिधारण शुल्क लया जाएगा?	छात्रावास के संचालन के बाद निर्णय लया जाएगा। हालाँ क, वर्तमान परिदृश्य में, पुराना छात्रावास अति थ (अति थयों) के न आने के दशा में उनसे से कोई निरस्तीकरण शुल्क नहीं लेता है।
34.	टीवी, रसोई के उपकरण और महंगी वस्तुओं जैसी अचल संपत्तियों की लागत का वहन संस्थान द्वारा और उपभोग्य एजेंसी कया जाना चाहिए।	संस्थान निवे शत मदों की रा श को वहन/क्षतिपूर्ति/प्रतिपूर्ति नहीं करेगा। पूंजी निवेश चरणबद्ध तरीके से कया जाएगा और एजेंसी को प्रस्तुति के दौरान निवेश योजना का प्रस्ताव देना होगा। लाभांश तदनुसार उद्धृत कया जाएगा।
35.	आपने बहुत सारे आईएसओ प्रमाणपत्र मांगे हैं, वे आवश्यक नहीं हैं, एक आईएसओ की आवश्यकता है और काम के आधार पर एफएसएसएआई लाइसेंस के बाद इसकी जरूरत है?	आईएसओ 9001:2015 प्रमाणन की अनिवार्य प्रकृति के आधार पर, इसे पात्रता/योग्यता मानदंड में जोड़ा जाता है। यदि एजेंसी के पास कोई अन्य आईएसओ प्रमाणीकरण है, तो प्रत्येक प्रमाणन के लए अ धकतम पांच अंकों के अधीन एक अतिरिक्त अंक दिया जाएगा। आईएसओ 9001:2015 के अलावा, एफएसएसएआई लाइसेंस को भी पात्रता / योग्यता मानदंड में जोड़ा जाता है क्यों क यह एक आवश्यक लाइसेंस है।
36.	कुछ जगहों पर लखा है क एजेंसी को 50 कमरे के होटल/गेस्टहाउस चलाने का अनुभव होना चाहिए, जब क कुछ जगहों पर इसे 100 कमरे लखा है। कौन सा सही है?	पचास कमरों के मानदंड पर वचार कया जाना चाहिए।
37.	क्या नौकरी के लए एक निश्चित संख्या में कर्मचारियों को नियुक्त करने की कोई बाध्यता है या एजेंसी अपने ववेक से काम पर रख सकती है?	नौकरी के लए निश्चित संख्या में कर्मचारियों को नियुक्त करने की कोई बाध्यता नहीं है। हालां क, मेहमानों से शकायत (यदि कोई हो) के मामले में, शास्ति का प्रावधान होगा।
38.	चूं क पुराने छात्रावास और नए छात्रावास का शुल्क अलग-अलग है, इस लए दोनों छात्रावासों पर समान राजस्व हिस्सेदारी लागू नहीं हो सकती है। गणना के लए कुछ सूत्र होने चाहिए।	मूल्य बोली के प्रारूप में पुराने और अंतर्राष्ट्रीय छात्रावासों के लए दो अलग-अलग घटक होंगे।
39.	अनुबंध की अव ध बहुत कम है और कोई भी व्यक्ति इतना पैसा कम समय के लए निवेश नहीं करना चाहेगा। कार्यकाल कम से कम 5 साल के लए तय कया जाना चाहिए और आपसी सहमति से बढ़ाया जाना चाहिए।	चूं क एजेंसी को छात्रावासों को कार्यात्मक और परिचालन में लाने के लए पूंजी निवेश करना होगा, परियोजना के प्रारं भक कार्यकाल को पछले प्रदर्शन के आधार पर एक वर्ष के वस्तार के साथ दो साल से बढ़ाकर तीन साल कया जा रहा है। यह भी उल्लेख कया जाना है क पूंजी निवेश चरणबद्ध तरीके से कया जाएगा और एजेंसी को प्रस्तुति के दौरान निवेश योजना का प्रस्ताव देना होगा।

40.	सुरक्षा के लए क्या डमांड ड्राफ्ट के स्थान पर बैंक गारंटी जमा की जा सकती है?	डमांड ड्राफ्ट ही मान्य होगा

इसके अतिरिक्त, एजेंसी की तकनीकी दक्षता के मूल्यांकन के लए संशोधत तकनीकी प्रदर्शन और संशोधत तकनीकी मानदंड निम्नानुसार हैं: -

अनुलग्नक – क

राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान एवं परिवार कल्याण,
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली –110067

तकनीकी बोली के लिए प्रोफार्मा

विषयः– रास्वापक. संस्थान में नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास के कार्यतरूव्यवस्था, संचालन तथा अनुरक्षण तथा रास्वापक. संस्थान में मौजूदा पुराने छात्रावास का संचालन तथा अनुरक्षण के क्षेत्र में पात्र एजेंसियों से प्रस्ताव के लिए अनुरोध।

क्रमांक	**विवरण**	**जानकारी यहाँ प्रस्तुत करें**		**प्रति की पृष्ठ संख्या संलग्न**
1.	कंपनी का नाम			
2.	पंजीकृत कार्यालय का पूरा पता			
3.	टेलीफोन/मोबाइल/फैक्स नंबर			
4.	संपर्क व्यक्ति का नाम			
5.	पंजीकरण संख्या की प्रति के साथ निम्नलिखित का पंजीकरण।		**पंजीकृत संख्या**	
	ए) जीएसटी की पंजीकरण संख्या	हां/नहीं	**क.**	
	बी) ईपीएफ की पंजीकरण संख्या	हां/नहीं	**ख.**	
	सी) ईएसआईसी की पंजीकरण संख्या	हां/नहीं	ग.	
	डी) श्रम लाइसेंस पंजीकरण संख्या	हां/नहीं	**घ.**	
	ई) एजेंसी का पैन नंबर	हां/नहीं	**ङ.**	
	एफ) एफएएसएसआई लाइसेंस संख्या।	हां/नहीं	**च.**	
6.	पिछले 3 वर्षो का आयकर रिटर्न	हां/नहीं		
7.	पिछले 3 वित्तीय वर्षों में बोलीदाता का औसत वार्षिक कारोबार रु 75 लाख (छात्रावास सेवाओं का संचालन तथा अनुरक्षण) होगा। एजेंसी को इसके लिए सीए सर्टिफिकेट देना होगा।	हां/नहीं	**2019–2020 =** **2020–2021=** **2021–2022=**	
8.	बोलीदाता के पास कम से कम 50 कमरे के छात्रावास/गेस्ट हाउस या सरकारी संगठनों के साथ-साथ एक प्रसिद्ध प्रतिष्ठित निजी संगठन (ओं) में 100 मेहमानों की संख्या के छात्रावास सेवाओं के संचालन तथा अनुरक्षण में न्यूनतम 03 (तीन) वर्ष का अनुभव होना चाहिए।	हां/नहीं	वर्ष, लागत तथा विभाग जैसे कार्य का विवरणः **1.** **2.**	

9.	कम से कम 50 या अधिक कमरों की क्षमता के वर्तमान में गतिशील 1 (एक) समान अनुबंध का विवरण।	हां/नहीं		
10.	बोलीदाता को उन फर्मों की सूची शामिल करनी चाहिए जहां उन्होंने कम से कम पिछले 5 वर्षों में समान सेवाएं प्रदान की हैं, साथ ही वहाँ पर कार्यरत किसी संपर्क व्यक्ति का नाम, फोन, मेल-आईडी तथा फैक्स नंबर प्रदान करें जिनसे आवश्यक होने पर संपर्क किया जा सके।	हां/नहीं		
11.	सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों / सरकारी विभागों / अनुसंधान संगठनों / प्रतिष्ठित निजी संगठनों को समान सेवाएं प्रदान करने के लिए बोलीदाता / कंपनी / फर्म / एजेंसी के पास पिछले 3 वर्षों में कम से कम 2 सफलतापूर्वक निष्पादित अनुबंध होने चाहिए, जिनमें कम से कम एक सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी/सरकारी विभाग से होना चाहिए (उसके लिए पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ कार्य आदेश आवश्यक है- क्रॉस सत्यापन के लिए संपर्क नंबर भी आवश्यक है)	हां/नहीं		
12.	या तो पंजीकृत कार्यालय या बोलीदाता की एक शाखा कार्यालय दिल्ली तथा दिल्ली एनसीआर में स्थित होना चाहिए।	हां/नहीं		
13	पत्र शीर्ष पर प्रमाण पत्र कि एजेंसी को किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों/सरकारी विभागों/अनुसंधान संगठनों/प्रतिष्ठित निजी संगठनों द्वारा ब्लैक-लिसटेड नहीं होना चाहिए (फॉर्म-2)।	हां/नहीं		
14	एजेंसी द्वारा प्रस्तुत सभी आवश्यक सहायक दस्तावेजों की फोटोकॉपी **विधिवत हस्ताक्षरित** होनी चाहिए।	हां/नहीं		

<u>अंडरटेकिंगः</u> मैंने इस निविदा के सभी सामान्य नियमों तथा शर्तों कार्यक्षेत्र ,तथा अन्य सभी स्पेशिफिकेशंस)Specifications) को ध्यान से पढ़ लिया है तथा समझ लिया है।

नोटः बिडर्स को उपरोक्त उल्लेखित न्यूनतम योग्यता मानदंडों के आलोक मेंप्रत्येक के समर्थन में डोक्यूमेंटरी प्रूफ प्रस्तुत करना , होगा। किसी भी निर्दिष्ट मानदंड के लिए बिडर के द्वारा एक साधारण अंडरटेकिंग पर्याप्त नहीं होगी। सभी डोक्यूमेंटरी प्रूफ कंपनी के लेटरहेड पर सूचीबद्ध होने चाहिए तथा लिफाफें में सलंग्न होनी चाहिए तथा इसे टेक्निकल बिड के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए अर्थात 'अनुलग्नक'-क' के साथ-फॉर्म ,साथ-I, फॉर्म-II तथा फार्म-III के रुप में संलग्न प्रोफार्मा भी जमा करना चाहिए।

मैं एतद् द्वारा पुष्टि करता हूं कि मैं निविदा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत हूं।

(मोहर सहित प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)

हस्ताक्षरकर्ता के नामः

सेवा प्रदाता का नामः

संपर्क विवरणः

पताः

दिनांकः

स्थानः

फॉर्म– 1

अंडरटेकिंग

बिडर्स को अपने संस्थान के लेडरहेड पर, नीचे दिए गए प्रारुप में एक अंडरटेकिंग प्रस्तुत करना चाहिए।

[संगठन के लेटरहेड पर]

यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तुत किए गये प्रस्ताव/दस्तावेज/स्पष्टीकरणों के अनुसार यहां दी गयी जानकारी सत्य तथा सही है तथा इसमें कुछ भी छिपाया या छेड़-छाड़ नहीं किया गया है। हमनें ईओआई की सभी शर्तों को पढ़ लिया है तथा किसी भी झूठी सूचना/दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए किसी भी दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी है।

हमने ईओआई तथा उसके अनुबंधों व सभी अनुलग्नकों / परिशिष्टों के प्रावधानों को पढ़ लिया है। हम समझते है कि हमारे प्रस्ताव में पाई जाने वाली कोई भी अतिरिक्त शर्तें, भिन्नताएँ, बदलाव, सुझाव, अनुमान यदि कोई हो, उसको प्रभावी नहीं किया जाएगा तथा हमारे प्रस्ताव को यदि स्वीकार किया जाता है , तो रास्वापक. संस्थान पर बाध्यकारी नहीं होगा।

हम समझते हैं कि रास्वापक. संस्थान के हॉस्टल को फंक्शनलाईज, संचालन तथा मेंटनेंस के आधार पर निष्पादित किया जाना है तथा इस कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक कोई भी घटक या सेवा रास्वापक. संस्थान को बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव के, हमारी एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

दिनांक.............2022

हस्ताक्षर

(बिडर की मुहर),

पदः

अधिकृत व्यक्तिः

नोटः कंसोर्टियम के मामलें में सभी पक्षों के द्वारा यह अंडरटेकिंग देनी होगी।

फार्म –2

प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तिथि तकडाला गया है। बिडर को किसी भी सरकारी संस्था द्वारा ब्लैकलिस्ट में नहीं ,

(संस्थान के लेटरहेड पर)

दोषसिद्धि न होने के संदर्भ में प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि (संगठन का नाम) ...., जिसका पंजीकृत कार्यालय .... ,पता.........है..............हमारी एजेंसी को भारत में किसी भी सरकारी संस्था के द्वारा ,की तिथि तक प्रस्ताव प्रस्तुत करने , ब्लैकलिस्ट में नहीं डाला गया है।

हस्ताक्षरः

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नामः

पदनामः

फॉर्म–3

योग्यता पत्र

(गैर न्यायिक स्टांप पेपर पर तैयार कर प्रस्तुत करना है)

यह प्रमाणित किया जाता है कि हम.................., पताएनआईएचएफ़डबल्यू के नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास के .... संचालन ,फंक्शनलाईजेशनतथा अनुरक्षण तथा संस्थान के मौजूदा संचालन ,पुराने छात्रावास को संस्थान की आवश्यकतानुसार , तथा अनुरक्षण को सफलतापूर्वक निष्पादन के लिए योग्य तथा वित्तीय रुप से सक्षम है। यह बोली इस परियोजना के उद्येश्यों को पूरी तरह से समझने के बाद साईट निरीक्षण करने ,तथा संस्थान को सेवाएं प्रदान करने के लिए सांस्थानिक आवश्यकताओँ को समझने के बाद प्रस्तुत की जा रही है।

हम यह प्रमाणित करते हैं कि उक्त भवनों को फंक्शनलाईज संचालन ,तथा अनुरक्षण के लिए हमारे द्वारा तैनात किए जाने वाले संसाधनों की गुणवत्ता तथा संख्या (प्रोफेशनल) पेशेवर ,निर्धारित समय सीमा के भीतर ,तथा सक्षम रुप से सेवाएं देने के लिए पर्याप्त होगी।

हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि इस ईओआई के लिए हमारे द्वारा प्रस्तुत की गयी सभी जानकारी सत्य तथा सही है।

धन्यवाद,

सादर,

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर,

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के नाम,

पदनामः

मुहरः

दिनांकः

पताः

प्रदर्शन तथा दक्षता के विशिष्ट संकेतक “नव निर्मित अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास के कार्यतरूव्यवस्था, संचालन तथा अनुरक्षण तथा रास्वापक. संस्थान में मौजूदा पुराने छात्रावास का संचालन तथा अनुरक्षण ” के लिए उद्देश्य / मूर्त वितरण योग्य हैं।

विवरण	अंकन योजना	अधिकतम अंक	योग्यता के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक	प्राप्त अंक (समिति द्वारा)
50 अतिथि कमरे या 100 अतिथि के साथ छात्रावास सेवाओं के संचालन तथा अनुरक्षण प्रदान करने के वर्षों के अनुभव की संख्या	05 वर्ष के अनुभव के लिए 04 अंक, तथा प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए 01 अंक, अधिकतम 10 अंक	10	4	
आईएसओ प्रमाणन	आईएसओ 9001:2015 प्रमाणन के लिए 01 अंक और प्रत्येक अतिरिक्त आईएसओ के लिए 1 अंक जो संबंधित/ आवश्यक सेवाएं प्रदान करती है (अधिकतम 03 अंकों के अधीन)	3	1	
एफएसएसएआई लाइसेंस	02 अंक	2	2	
50 अतिथि कमरों या 100 मेहमानों के साथ अनुबंधों की संख्या	ऐसे 2 अनुबंधों के लिए 3 अंक तथा प्रत्येक अतिरिक्त अनुबंध के लिए 1 अंक, अधिकतम 5 अंक	5	3	
छात्रावास सेवाओं के संचालन तथा अनुरक्षण में पिछले 3 वर्षों के लिए सालाना 75 लाख का न्यूनतम औसत कारोबार	न्यूनतम टर्न-ओवर के लिए 3 अंक (पिछले 3 वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष 75 लाख) तथा प्रत्येक अतिरिक्त 50 लाख के लिए 1 अंक, अधिकतम 10 अंक	10	5	
सरकारी संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों/बड़ी, प्रतिष्ठित निजी कंपनियों को छात्रावास सेवाओं का संचालन तथा अनुरक्षण प्रदान करने का अनुभव।	पिछले 3 वर्षों में प्रत्येक 75 लाख मूल्य के न्यूनतम दो अनुबंधों के लिए 4 अंक तथा 50 लाख मूल्य के प्रत्येक अतिरिक्त अनुबंध के लिए 2 अंक तथा न्यूनतम 25 लाख के प्रत्येक अतिरिक्त अनुबंध मूल्य के लिए 1 अंक अधिकतम 10 अंकों के अधीन	10	4	
ग्राहकों से प्रतिक्रिया (वर्तमान सहित 3 ग्राहकों से)	उत्कृष्ट 2.5 अंक, बहुत अच्छे 1.5 अंक, अच्छे 1 अंक, उचित 0 अंक, अधिकतम 5 अंक।	5	3	
प्रस्तावित सॉफ्टवेयर तथा उसकी क्रियाविधि (प्रस्तुति के बाद अंक दिए जाएंगे)	उत्कृष्ट 2.5 अंक, बहुत अच्छे 1.5 अंक, अच्छे 1 अंक, उचित 0 अंक, अधिकतम 5 अंक।	5	3	

तकनीकी समिति को प्रस्तुतिकरण तथा तकनीकी समिति द्वारा प्रतिक्रिया का मूल्यांकन तथा /या बोलीदाता के वर्तमान ग्राहकों की साइट-विजिट	तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा मूल्यांकन	50	20	
कुल		**100**	**45**	

तकनीकी मूल्यांकन 100 अंकों का होगा तथा निम्नलिखित मानदंडों पर आधारित होगाः -

1. एक बोलीदाता को तकनीकी रूप से योग्य होने के लिए ऊपर वर्णित प्रत्येक श्रेणी के तहत कम से कम न्यूनतम अंक तथा तकनीकी मूल्यांकन में कुल मिलाकर न्यूनतम **45** अंक प्राप्त करने होंगे।
2. वित्तीय मूल्यांकन पर केवल तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं के लिए विचार/आह्वान किया जाएगा।